भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4339

20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रमाणित आयुष स्वास्थ्य पेशेवर

4339. श्रीमती मालविका देवी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमाणित आयुष स्वास्थ्य पेशेवरों को सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की निकट भविष्य में ओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोलने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा के कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों में ऐसे प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा कालाहांडी निर्वाचन संसदीय क्षेत्र में आयुष केंद्रों के साथ-साथ ओडिशा के ग्रामीण जिलों में विशेषकर सभी के लिए आयुर्वेदिक दवाओं को सुलभ और सस्ती बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, ओडिशा के कालाहांडी और नुआपाड़ा जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोलना संबंधित राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। हालाँकि, आयुष मंत्रालय वर्ष 2021-22 से आर्युज्ञान नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य बाह्य परिसर अनुसंधान गतिविधियों द्वारा आयुष में अनुसंधान और नवाचार और अकादमिक गतिविधियों, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि के द्वारा शिक्षा के लिए सहयोग प्रदान करना है। आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) योजना के दिशा-निर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयुष कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 186 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहयोग प्रदान किया गया है और दिनांक 10 दिसंबर 2024 तक 4862 प्रमाणित स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है।

(घ): आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को क्रियान्वित कर रहा है और पूरे देश में आयुर्वेद सहित लागत प्रभावी और न्यायसंगत के साथ-साथ सुलभ आयुष स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों का समर्थन कर रहा है, जिसमें कालाहांडी संसदीय क्षेत्र के साथ ओडिशा के ग्रामीण जिले भी शामिल हैं। एनएएम के तहत, वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक ओडिशा राज्य सरकार से राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, एसएएपी में अनुमोदित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य को 8710.18 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

****